राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 69/2011/जयपुर.

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त–प्रथम, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल प्रा0 लिमिटेड,
109, गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन के बैद,
राजकीय उप अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.09.2014

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 771/2007/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2010 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी रेस्टोरेन्ट का व्यवसाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का वर्ष 2002–03 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.6.2005 को पारित करते हुए आलोच्य अवधि में रू. 2,30,79,413.00 की बिकी खाद्य पदार्थो की 8 प्रतिशत से कर योग्य दर्शायी गई थी, जिसमें से रू. 19,04,742.00 का विकय "फाऊन्टेन पैप्सी" का था। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त बिकी पर 8 प्रतिशत की दर से ही कर संग्रहीत कर जमा कराया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अधिसूचना क्रमांक 1407 दिनांक 27.3.2002 के क्रम संख्या 191 के अनुसार उक्त विकय " वातित जल" का होने के कारण इस बिकी पर 18 प्रतिशत की दर से कर अधिसूचित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.3.2005 में 4 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया गया जबकि अन्तर 10 प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाना चाहिए था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.6.2005 को धारा 30के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए 6 प्रतिशत से अन्तर कर व सरचार्ज रू. 1,31,428.00 आरोपित किया गया । उक्त कर समय पर जमा नहीं होने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 61,115.00 आरोपित किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर उपायुक्त,अपील्स के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपायुक्त,अपील्स द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2006 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध पारित आदेश को आंशिक रूप से अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण

अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील का निस्तारण दिनांक 24.09.2010 को करते हुए उपायुक्त,अपील्स के आदेश को विधिक ठहराते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार कर दी गई। राजस्व की ओर से एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2010 में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि फाउण्टेन पेप्सी 18 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिनुसार अन्तर कर, सरचार्ज एवं ब्याज का अधिरोपण किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में उपायुक्त (अपील्स) द्वारा त्रुटि की गई है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.4(72)एफडी/ग्रुप–4 /87–43 दिनांक 27.6.90 द्वारा रैस्टोरेन्ट व्यवसाय हेतु दो लाख रूपये के टर्नओवर को कर मुक्त घोषित किया हुआ है तथा उसके पश्चात प्रत्येक 5,000/– रूपये के टर्नओवर पर 300/– रूपये की दर से कर निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 8 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है तथा इसे जब्त किये जाने को भी स्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि इस आधार पर उपायुक्त,अपील्स द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है,जिसकी पुष्टि कर बोर्ड द्वारा की गई है,जो विधिक नहीं है। उन्होंने उक्त आधार पर कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 771/2007/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2010 में संशोधन करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपील संख्या 771/2007/जयपुर की सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्कों की पुनरावृत्ति करते हुए कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.9.2010 को विधिक बताया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2010 का ससम्मान अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जा सकता है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों । कर बोर्ड की एकलपीठ पारित द्वारा निर्णय दिनांक 24.09.2010 के अवलोकन से उसमें रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नही होती है। हस्तगत संशोधन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृति माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ससम्मान विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe

exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contexst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437.Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority tob rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for.When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impunged order and judgment passed by the High Court upholding

the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नही जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य